बिहार सरकार
शिक्षा विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)
आदेश

पटना, दिनांक.....

संख्या–08 / आ०5–61 / 2024..... / प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के आदेश ज्ञापांक 687 दिनांक 19.05.2026 द्वारा श्रीमती विभा रानी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, मांझी, सारण के विरूद्ध "संचयी प्रभाव के बिना एक वेतन वृद्धि पर रोक" का दण्ड अधिरोपित किया गया। उक्त अधिरोपित दण्ड के विरूद्ध श्रीमती विभा रानी द्वारा अपील अभ्यावेदन समर्पित किया गया। उक्त समर्पित अपील अभ्यावेदन के आलोक में दिनांक 23.09.2026 को सुनवाई की गयी। सुनवाई में अपीलार्थी द्वारा स्वयं उपस्थित होकर अपना बचाव पक्ष रखा गया तथा प्राथमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–08 के द्वारा पक्ष रखा गया।

2. जिला शिक्षा पदाधिकारी, सारण के पत्रांक 979 दिनांक 09.10.2024 द्वारा श्रीमती विभा रानी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, मांझी, सारण के विरूद्ध निदेशक, जन शिक्षा–सह–अपर सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना द्वारा मांझी प्रखंड अंतर्गत विद्यालय निरीक्षण में अनियमितता पाया जाने, क्षेत्राधीन विद्यालयों का नियमित जाँच / अनुश्रवण नहीं किया जाना, सरकारी कार्यों में लापरवाही, अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं करना, उच्चाधिकारी के आदेश का अनुपालन नहीं करना तथा स्वेच्छाचारिता रखने संबंधी आरोप प्रतिवेदित किया गया।

3. प्राप्त पत्र एवं साक्ष्यों की छायाप्रति संलग्न करते हुए निदेशालय के पत्रांक 04 दिनांक 02.01.2025 द्वारा आरोपी पदाधिकारी से लिखित बचाव अभिकथन की मांग की गयी। आरोपी पदाधिकारी से प्राप्त बचाव अभिकथन के समीक्षोपरान्त समर्पित बचाव अभिकथन संतोषजनक नहीं पाये जाने के कारण निदेशालय के आदेश ज्ञापांक 428 दिनांक 30.04.2025 द्वारा आरोपी पदाधिकारी के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के सुसंगत प्रावधानों के तहत अनुशासनिक कार्यवाही संचालित की गयी। उक्त अनुशासनिक कार्यवाही के संचालन हेतु क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, सारण प्रमंडल, सारण को संचालन पदाधिकारी एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी, सारण को उप स्थापन पदाधिकारी नामित किया गया।

4. उक्त के आलोक में संचालन पदाधिकारी–सह–क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, सारण प्रमंडल, सारण के पत्रांक 49 दिनांक 17.03.2026 द्वारा सभी आरोपों को आंशिक रूप से प्रमाणित करते हुए जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया। प्रमाणित जाँच प्रतिवेदन को संलग्न करते हुए आरोपी पदाधिकारी से लिखित अभ्यावेदन की मांग की गयी। उक्त के अनुपालन में श्रीमती रानी के पत्रांक 341 दिनांक 10.04.2026 द्वारा लिखित अभ्यावेदन समर्पित किया गया।

5. प्राप्त आरोप पत्र, संचालन पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये जाँच प्रतिवेदन एवं आरोपी पदाधिकारी से प्राप्त लिखित अभ्यावेदन के समीक्षोपरान्त विद्यालय का संचालन प्रभावी तरीके से नहीं होना, विद्यालयों में बच्चों की उपस्थिति कम पाया जाना, मध्याह्न भोजन का संचालन बाधित पाया जाना एवं इसके साथ ही अन्य तरह की अनियमितता पाये जाने का कारण उनके द्वारा अपने प्रखंड अंतर्गत विद्यालयों का प्रभावी तरीके से संचालन एवं विद्यालय संबंधी सभी अन्य तरह की समस्याओं का निदान नहीं कराये जाने के मामले में उनके द्वारा अपने कर्त्तव्यों का समुचित निर्वहन नहीं किये जाने के कारण प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के आदेश ज्ञापांक 687 दिनांक 19.05.2026 द्वारा "संचयी प्रभाव के बिना एक वेतन वृद्धि पर रोक" का दण्ड अधिरोपित किया गया।

6. अपील सुनवाई में अपीलार्थी श्रीमती रानी द्वारा अपने बचाव पक्ष में विद्यालयवार वस्तुस्थिति से अवगत कराया गया है। अंकित तथ्य सिर्फ समस्या की ओर इंगित करता है। जिसमें समस्या निदान के तरफ अतिरिक्त प्रयास या फिर भविष्य में बेहतर करने के तरफ इशारा नहीं करता है। अपने प्रखंडाधीन विद्यालयों का सम्यक प्रभावी निरीक्षण एवं सभी अन्य तरह का समस्या का निदान कराया जाना इनका कर्त्तव्य है।

7. अतः समीक्षोपरान्त प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के आदेश ज्ञापांक 687 दिनांक 19.05.2026 द्वारा श्रीमती विभा रानी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, मांझी, सारण के विरूद्ध संचयी प्रभाव के बिना एक वेतन वृद्धि पर रोक का अधिरोपित दण्ड को यथावत् रखा जाता है।

8. इसके साथ ही इस मामले को निस्तारित किया जाता है।

ह०/–
(राजीव रौशन)
सचिव, शिक्षा विभाग।

ज्ञापांक–08/आ०–05–61/2024 –1118/ पटना, दिनांक 12.10.2026

प्रतिलिपिः– संचालन पदाधिकारी–सह–क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, सारण प्रमंडल, छपरा/जिला शिक्षा पदाधिकारी, सारण/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना), सारण/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/उप कोषागार पदाधिकारी/श्रीमती विभा रानी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, मांझी, सारण एवं आई०टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

7/X/26
सचिव, शिक्षा विभाग।